प्रेस नोट

हापुड़ पुलिस दिनांक:- 22-03-2024

"गांव के गरीब व असहाय लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह के 02 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार ।"

- **थाना साइबर क्राइम पुलिस ने सरकारी कर्मचारी बनकर गरीब व असहाय लोगों को कॉल करके प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मकान दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले 02 शातिर साइबर ठगों को किया गिरफ्तार ।**
- **जिनके कब्जे से 02 मोबाइल फोन, 9,000/- रुपये नकदी, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र एवं श्रम विभाग की फर्जी रसीदें बरामद ।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के साइबर अपराधी हैं, जिनके द्वारा विगत समय में सैकडों गरीब व असहाय लोगों के साथ इसी प्रकार की घटनाएं कारित करते हुए आर्थिक लाभ कमाया जा चुका है**

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.01.2024 को एक व्यक्ति द्वारा अपने साथ साइबर ठगी हो जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल थाना बाबूगढ़ पर मु0अ0सं0 31/2024 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा जिसके अनावरण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराध करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा थाना बाबूगढ़ पर मु0अ0सं0 31/2024 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट बनाम अज्ञात का सफल अनावरण करते हुए सरकारी कर्मचारी बनकर कॉल करके गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मकान दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 02 मोबाइल फोन, 9,000/- रुपये नकदी, फर्जी आधार कार्ड एवं श्रम विभाग की कूटरचित रसीदें बरामद हुई हैं एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम ऑनलाइन ग्राम प्रधानों के मोबाइल सर्च करने के उपरान्त प्रधानों को उनके नम्बर पर कॉल करके अपने आपको सरकारी विभाग का कर्मचारी बताकर विश्वास में लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत गरीबों को मकान दिलवाने के लिये गांव के गरीब व्यक्तियों का नाम व मोबाइल नम्बर लेकर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मकान दिलाने के लिये रजिस्ट्रेशन व ड्राफ्ट बनवाने तथा फाइल पास

कराने के नाम पर धोखाधडी से धनराशि ट्रांसफर करा लेते हैं। इसी प्रकार हमनें प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मकान दिलाने के लिये रजिस्ट्रेशन व ड्राफ्ट बनवाने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी की है।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक -

अभियुक्त शिवा को ग्राम भौसाना थाना चौवेपुर जनपद कानपुर से व अभियुक्त राजेश को आनन्द बिहार बस अड्डा दिल्ली से दिनांक 21.03.2024।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.शिवा पुत्र पीताम्बर निवासी ग्राम भौसाना थाना चौवेपुर जनपद कानपुर।

2.राजेश पुत्र सरनाम सिंह निवासी ग्राम आर्यनगर रोशनाई थाना रनिया जनपद कानपुर देहात।

नोट-

गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य राज्य/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

1. 02 मोबाइल फोन।
2. 9,000/- रुपये नगदी।
3. फर्जी आधार कार्ड व पहचान पत्र
4. श्रम विभाग की कूटरचित रसीदें।

आमजन को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्रता के निम्नलिखित नियम व शर्ते आवश्यक हैं।

शहरी क्षेत्र हेतु आवश्यक नियम व शर्तें

(1) ऐसे व्यक्ति जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय रू 3.00 लाख से कम हो।

(2) जिनके पास नगर निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत न्यूनतम 30 वर्गमीटर का प्लाट हो।

(3) जिनके पास कच्चा मकान जैसे गाटर पटिया, कडी पटिया की छत हो।

(4) ऐसा व्यक्ति जिनके पास भारत वर्ष में अपना कोई पक्का मकान न हों।

5. सम्बन्धित नगर निकायों एवं डूडा कार्यालय द्वारा आयोजित कैम्पों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित नगर निकायों, तहसील एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाती है।

6. जांचोपरान्त पात्र लाभार्थियों की डी0पी0आर0 कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार कर शासन/सूडा लखनऊ मुख्यालय को प्रेषित की जाती है एवं शासन द्वारा डी0पी0आर0 स्वीकृत होने एवं लाभार्थियों के बैनिफिशरी कोड बनने के पश्चात कार्यदायीं संस्था द्वारा जनपद स्तर पर जियोटैग का कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्र हेतु आवश्यक नियम व शर्तें

1. आश्रयविहीन परिवार
2. बेसहारा/भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले
3. हाथ से मैला ढोने वाले
4. आदिमानव जनजातीय समूह
5. वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।

बहिर्वेशन के लिये मानदंडः-

1. पक्की छत/पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है।
2. मोटर युक्त दोपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली वाहन/मछली पकडने की नाव, मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण
3. 50,000 रू0 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।
4. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कमर्चारी हो/सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार

5. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10,000 रू0 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।
6. आयकर देने वाले परिवार/व्यवसाय कर देने वाले परिवार/वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो।
7. वे परिवार, जिनके पास लैंड लाईन फोन हो।
8. वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचत भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो।
9. दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिये 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचत भूमि
10. वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो।

नोटः-

आमजन से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवेदन उपरोक्त नियम व शर्तों के अनुसार सम्बन्धित विभाग में करें। किसी अनजान व्यक्ति के झांसे में न आयें, सम्बन्धित विभाग में जाकर पूर्ण करने के पश्चात ही आवेदन करें।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 10,000/- रुपये के पुरुष्कार से पुरुष्कृत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री नजीर अली खांन प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम जनपद हापुड़।
2. श्री पटनीश कुमार थाना प्रभारी बाबूगढ़ जनपद हापुड़।
3. अतिरिक्त निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड।
4. उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना साइबर क्राईम जनपद हापुड।
5. उ0नि0 श्री विनीत मलिक थाना साइबर क्राइम जनपद हापुड़।
6. उ0नि0 श्री ब्रजवीर सिंह थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड।
7. है0का0 साजुद्दीन खांन थाना साइबर क्राइम जनपद हापुड।
8. है0कां0 संजीव कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद हापुड़।
9. है0का0 मनीष कुमार थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड।
10. है0 का0 सोनू कुमार थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड।
11.कां0 नीरज कुमार थाना साइबर क्राईम जनपद हापुड़।